पं॰ नजजी
8/6/11

(12)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), ~~PATNA-800001~~

No. L.A. Sur./ 14203 – 79 Dated:- 27/05/2011

नगर विकास एवं आवास विभाग
0 2 JUN 2011
बिहार, पटना

वि.स.(श्री धा)

To

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department
Patna.

Sir,

Audit Report No. **66/11-12** on the accounts of **Nagar Panchayat, Shahebganj** for the period **2009-10** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours Sincerely

Encl:- As above

27/5/11

Sr. Audit Officer/Surcharge

उप सचिव
(स्थानीय)
6/6/11

7/6/11

(11

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या:– 66/2011–12
नगर पंचायत, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर

प्रस्तावना :–

नगर पंचायत साहेबगंज (मुजफ्फरपुर) का गठन बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना सं0 4841 दिनांक 23.10.2007 के द्वारा हुआ एवं इसके लेखाओं की नमूना जॉच लेखापरीक्षा वर्ष 2009–10 तक को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना के स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 28.02.11 से 05.03.11 तक की अवधि में की गयी।

2. प्रशासन

	नाम	अवधि
(अ)	**अध्यक्ष/अध्यक्षा**	
(i)	श्रीमति रीना देवी	मई 2008 से 31.03.10

(ब)	उपाध्यक्ष	
(i)	श्री जमील अख्तर	मई 2008 से 31.03.10

(स)	कार्यपालक पदाधिकारी	
(i)	श्री सर्वनारायण यादव, प्र0वि0पदा0 मोतीपुर	07.04.09 तक
(ii)	श्री उज्जवल कुमार सिंह, प्र0वि0पदा0, साहेबगंज	07.04.09 से 28.10.09 तक
(iii)	श्री गगन, प्र0 वि0पदा0, कॉटी	28.10.09 से 31.03.10

3. लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा की गयी। अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट – I में तथा अनुपलब्ध/ असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट – II में दी गयी है।

3(A) पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

नगर पंचायत साहेबगंज के लेखाओं की यह पहली लेखापरीक्षा थी।

4. बजट प्राक्कलन

नगर पंचायत द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 से 84 के तहत वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2009–10 के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए मदवार अनुमानित प्राप्तियों एवं व्ययों को प्रदर्शित करते हुए बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 75 के अनुसार नगरपालिका निधि से किसी राशि का भुगतान अथवा व्यय मूलक कोई संविदा तब–तक नहीं की जा सकती जबतक कि ऐसा व्यय वर्तमान बजट से अच्छादित न हो। उक्त प्रावधानों

10

के विपरित, अंकेक्षण अवधि का संपूर्ण व्यय बजट प्राक्कलन के बिना किया गया था। प्राधिकारी का ध्याान इस ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि भविष्य में उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन तैयार किया जाय।

5. संव्यवहार एंव बैंक समाधान

नगर पंचायत साहेबगंज सरकारी अनुदान एंव स्वयं के स्त्रोत के आय से संपोषित था। नगर पंचायत का रोकड़ बही बैक ,खाता एवं अन्य अभिलेखों के अनुसार नगर पंचायत का संव्यवहार वर्ष 2007–08 से 2009–10 के दौरान निम्न था।

कम सं0	विवरण	2007–08	2008–09	2009–10
I	प्रारंभिक शेष	शुन्य	शुन्य	38,33,400.00
(i)	सरकारी अनुदान	शुन्य	38,02,400.00	25,23,935.00
(ii)	स्वयं के स्त्रोत से आय	शुन्य	31,000.00	12,48,301.00
(iii)	ब्याज	शुन्य	शुन्य	234.00
II	कुल योग	शुन्य	38,33,400.00	76,05,870.00
	व्यय			
(i)	कवीर अंत्येष्ठी	शुन्य	शुन्य	1,26,000.00
(ii)	वार्ड पार्षद भत्ता	शुन्य	शुन्य	59,300.00
(iii)	**स्वयं स्त्रोत से व्यय**			
(क)	योजना व्यय	शुन्य	शुन्य	6,97,000.00
(ख)	अन्य व्यय	शुन्य	शुन्य	2,13,693
(III)	कुल व्यय	शुन्य	शुन्य	10,95,993.00
(IV)	अंत शेष	शुन्य	3833400.00	65,09,877.00

31.03.10 को बैंक खाता का शेष निम्न था।

(i)	सेन्ट्रल बैंक साहेबंज, खाता सं0 एस0वी0 17317	₹ 27,90,300.00
(ii)	स्टेट बैंक रेड क्रास मुजफ्फरपुर खाता सं0 31022588756	₹ 16100.00
(iii)	कोषागार खाता	₹ 44,53,892.00
	कुल योग –	**₹ 7260292.00**

बैंक समाधान विवरणी

(II) 31.03.10 को रोकड़ बही शेष – ₹ 6509877.00

जोड़

(i) 31.03.10 तक निर्गत परंतु भुगतान के लिए बैंक में अप्रस्तुत चेक की राशि

(क)	चेक सं0 27159/25.03.10 ₹ 53,578.00	
(ख)	चेक सं0 27681/30.03.10 ₹ 3,00,000.00	
(ग)	चेक सं0 27682/31.03.10 ₹ 397000.00	7,50,578.00

9

(ii)	रोकड़ बही में कम जमा दर्ज	
	दिनांक 14.08.09 को बैंक में जमा राशि ₹ 12,220.00 के बदले रोकड़ बही में ₹ 12200.00 दर्ज	20.00
		7260475.00
(III)	घटाव	
(i)	रोकड़ पाल के पास रखी राशि	(–) 183.00
	31.03.10 को बैंक खाता शेष	7260292.00

6. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नगर पंचायत द्वारा नहीं किया गया था, इसके कारण प्रत्येक वर्ष विभिन्न अनुदानों के पूर्वावशेष, वर्ष के दौरान प्राप्तियॉं, वर्ष के दौरान उसका उपयोग एवं वर्ष की समाप्ति पर अवशेष का पता नहीं लगाया जा सका

यद्यपि नगर पंचायत की रोकड़बही के अनुसार निम्नलिखित सरकारी अनुदान विशिष्ट प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक में नगर पंचायत को प्राप्त हुए ।

कम सं0	स्वीकृत्यादेश संख्या/ तिथि	राशि (₹ मे)	मद का नाम
वर्ष 2008–09			
1	न0वि0 एवं आ0वि0 4477/26.08.08	14,04,000.0	जलापूर्ति एवं नाला निर्माण
2	न0वि0 एवं आ0वि0 4536/29.08.08	23,33,000.00	पथ निर्माण
3	न0वि0 एवं आ0वि0 4537/29.08.08	65,400.00	वार्ड पार्षद का भत्ता
	कुल –	₹ 38,02,400.00	

वर्ष 2009–10			
1	उप वि0 आयुक्त चेक सं0 549998/31.03.07	3,53,084.00	12 वीं0 वित्त आयोग
2	न0वि0 एवं आ0वि0 1338/17.03.10	3,25,746.00	12 वीं0 वित्त आयोग
3	न0वि0 एवं आ0वि0 41/25.03.10	3,25,746.00	12 वीं0 वित्त आयोग
4	उप वि0 आयुक्त चेक सं0 799938/25.05.09	667259.00	बी0आर0जी0एफ0
5	उप वि0 आयुक्त चेक सं0 812005/25.01.09	6,50,200.00	बी0आर0जी0एफ0
6	जि0पदा0 मुज0 चेक सं0 0464167/24.06.09	1,36,500.00	कबीर अत्येष्टी
7	–– /31.03.10	65,400.00	वार्ड पार्षद का भत्ता
	कुल –	₹ 25,23,935.00	

उपरोक्त अनुदानों के व्यय की विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गयी जिसे अगले अंकेक्षण मे प्रस्तुत की जाय।

अनुदान पंजी का संधारण कर सभी अनुदानों का इंदराज तथा उसके उपयोग की विवरणी अंकित करके अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाय।

7 निधियों का अवरोधन

नगर पंचायत साहेबगंज को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अनुदान प्राप्त हुए।

नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त अनुदान –

(8)

क्रम सं0	पत्रांक /तिथि	राशि (₹ में)	प्रयोजन
1	4477/26.08.08	14,04,000.00	जलापूर्ति एवं नाला निर्माण
2.	4536/29.08.08	23,33,000.00	पथ निर्माण
	कुल योग –	**₹ 37,37,000.00**	

इसके अलावा नगर पंचायत को 12 वीं वित्त आयोग के अंर्तगत ₹ 10,04,576.00 एवं बी0आर0जी0एफ0 के अंर्तगत ₹ 13,17,459.00 अनुदान के रूप में प्राप्त हुए।

उक्त सभी राशियाँ दिनांक 31.03.10 तक नगर पंचायत निधि में अवरूद्ध थी। निधियों के उपयोग न होने से क्षेत्र की जनता अनुदान के लाभ से वंचित रह गयी।

अनुदान की राशि के अग्रेतर उपयोग हेतु यथाशीघ्र कारवाई की जाय।

8. वाहन प्रवेश शुल्क का लेखा अप्रस्तुत

नगर पंचायत रोकड़ बही के अवलोकन में वर्ष 2009–10 के दौरान वाहन से प्रवेश शुल्क की वसुली के रूप में कुल ₹ 136190 जमा पाया गया (विवरण परिशिष्ट III पर)।

इस राशि से संबंधित रसीद का अधकट्टी दैनिक संग्रह पंजी, रसीद की भंडार पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गयी। इसके कारण कुल वसूली एवं वसूली के विरूद्ध जमा की जॉच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अंकेक्षण में बताया गया कि मानदेय पर नियुक्त इस कार्य हेतु जिस कर्मी को रखा गया था, वे इस नगर पंचायत में अब कार्यरत नहीं है।

वाहन प्रवेश शुल्क से संबंधित रसीद का अधकट्टी दैनिक संग्रह पंजी एवं भंडार पंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक छानबीन की जाय तथा उक्त दस्तावेजों को अगले अंकेक्षण में जॉच हेतु प्रस्तुत की जाय।

9. करारोपण नहीं किया जाना

(क) बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 के धारा 127 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक शहरी निकाय को नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित होल्डिंग्स (मकानों) पर कर आरोपित करने की शक्ति प्रदान की गयी है, लेकिन नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के समाप्त होने के उपरांत भी मकानों पर करारोपण नहीं किया गया।

गृहकर नगर पंचायत के आय का एक मुख्य स्त्रोत है अतः यथाशीघ्र सड़कों का वर्गीकरण कराकर मकानों की अवस्थिति के अनुसार उनके बनावट एवं उपयोग को ध्यान में रखते हुए कर के दर का निर्धारण नगर पंचायत के बोर्ड द्वारा करके सरकार के अनुमोदन के पश्चात् करारोपण की कारवाई प्रारंभ किया जाय, जिससे नगर पंचायत की आय में वृद्धि हो सके।

(ख) उक्त अधिनियम के प्रावधान गृह कर के अलावा भयावह व्यापार पर कर, पेशाकर लगाने की भी शक्ति नगर पंचायत को प्रदान करती है।

नगर पंचायत क्षेत्र में चल रहे भयावह व्यापर के ऐसे प्रतिष्ठानों को चिन्हित करके उस पर निर्धारित दर से करारोपण की कारवाई यथाशीघ्र प्रारंभ की जाय।

10. सोलर लाईट अधिष्ठापन

नगर पंचातय साहेबगंज द्वारा दिनांक 22.03.10 को नगर क्षेत्र में 15 स्थानों पर नगर पंचायत कोष से सोलर लाईट लगाने की अधिसूचना निकाली गयी। इसके विरूद्ध निम्न तीन फर्मो ने 23.03.10 को निविदा जमा किया।

क0 सं0	फर्म का नाम	निविदित राशि (₹)
(I)	जय माता दी सोलर वर्ल्ड श्याम इंटरप्राईजेज चोरमा, पूर्वी चंपारण	46,500.00
(II)	दिव्या पावर हाउस, पटना	47,500.00
(III)	बिहार सोलर एजेंसी, पटना	49,000.00

दिनांक 26.03.10 को स्थायी सशक्त समिति की बैठक में श्याम इंटरप्राईजेज, चोरमा को न्यूनतम निविदा दर पर कार्यादेश देने का प्रस्ताव दिया गया। कार्यादेश दिनांक 26.03.10 को ही जारी हुआ। इसके लिए ₹ 697000.00 का भूगतान फर्म को निम्नानुसार हुआ।

(i)	चेक संख्या 27681 / दिनांक 30.03.10	₹ 3,00,000.00
(ii)	चेक संख्या 27682 / दिनांक 31.03.10	₹ 3,97,000.00
	कुल –	**₹ 6,97,000.00**

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) आम सूचना मात्र नगर पंचायत कार्यालय में ही प्रदर्शित की गयी। विस्तृत प्रचार–प्रसार के अभाव में प्रतियोगी दर प्राप्त न हो सका।

(ii) निविदित दर पर वार्त्ता कर दर कम नहीं कराया गया।

(iii) स्थापना संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त किया गया।

(iv) भंडार पंजी संधारित नहीं की गयी।

(v) आम सूचना में निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दर्ज नहीं थी।

(vi) निविदा सीलबंद लिफाफे में जमा करने की शर्त आम सूचना में नहीं डाली गयी थी।

(vii) अधिष्ठापित सोलर लाइटों में से किसी भी स्थल के लिए वारंटी कार्ड संचिका में उपलब्ध नहीं था।

उक्त तथ्यों को अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किये जाने तक सोलर लाइट के अधिष्ठापन पर किया गया व्यय ₹ 697000 अंकेक्षण आपत्ति के अर्न्तगत रखी जाती है।

11. **दैनिक एवं मानदेय कर्मियों को ₹** 1,39,581 का अनियमित भूगतान

नगर पंचायत द्वारा स्थायी पद के लिए स्वीकृति की मॉग नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रेषित नहीं किया गया था न ही दैनिक एवं मानदेय पर कर्मी को सेवा में रखने के लिए मॉग प्रेषित की गयी। जबकि नगर पंचायत के रोकड़बही एवं अन्य दस्तावेज के आधार पर यह पाया गया कि नगर पंचायत के आम बैठक के निर्णय के आलोक में कुल 13 कर्मियों को मानदेय एवं दैनिक मजदूरी पर कार्य के लिए रखा गया था। इसके लिए नगर पंचायत ने 2009–10 के दौरान कुल ₹ 1,39,581.00 का भूगतान निम्नानुसार किया।

कम सं0	अभिश्रव संख्या/तिथि	राशि (₹ में)
1	01/21.07.09	5,340.00
2	05/14.08.09	18,690.00
3	07/09.09.09	15,575.00
4	11/27.10.09	12,400.00
5	12/18.12.09	16,821.00
6	17/15.02.10	17,177.00
7	19/25.03.10	53,578.00
	कुल –	**1,39,581.00**

नगर पंचायत द्वारा स्थायी पद की स्वीकृति जल्द से जल्द विभाग से प्राप्त की जाय। साथ ही साथ मानदेय एवं दैनिक कर्मी पर भुगतान की गयी राशि ₹ 1,39,581.00 का भूतलक्षी प्रभाव से संस्वीकृति प्राप्त की जाय। संस्वीकृति प्राप्त किये जाने तक भूगतान की गयी राशि ₹ 1,39,581.00 अंकेक्षण आपत्ति में रखी जाती है।

12. वार्षिक लेखा

नगर पंचायत साहेबगंज द्वारा बिहार नगरपालिका लेखा नियम, 1928 के नियम 82 से 84 के तहत वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक के लिए प्रत्येक वर्ष का मदवार प्राप्तियों एवं व्ययों को प्रदर्शित करने वाला वार्षिक ,त्रैमासिक एंव मासिक लेखा तैयार नहीं किया गया था। वार्षिक लेखा तैयार नहीं किये जाने से शीर्षवार आय एवं व्यय की जॉच नहीं की जा सकी।

प्राधिकारी से अपेक्षा है कि भविष्य में उक्त नियम के अनुरूप वार्षिक त्रैमासिक एंव मासिक लेखा का संधारण करें।

13. लेखा परीक्षा परिणाम

(i)	लेखा परीक्षा के दौरान वसूल की गयी राशि	शुन्य
(ii)	लेखा परीक्षा द्वारा वसूली के लिए सुझायी गयी राशि	शुन्य
(iii)	अंकेक्षण आपत्ती में रखी गयी राशि (विवरण परिशिष्ट संख्या iv पर)	₹ 8,36,581.00

14. कार्यपालक से वार्त्तालाप

लेखा परीक्षा के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी से अंकेक्षण आपत्ति पर समय–समय पर वार्ता की गयी।

15. सामान्य अभियुक्ति

नगर पंचायत साहेबगंज के लेखाओं के संधारण में काफी सुधार की आवश्यकता है। अनुदान एंव अनुदान विनियोजन पंजी, अग्रिम पंजी, बंदोवस्ती पंजी, संपत्ति पंजी, रसीदों आदि का भंडार पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था, इस कारण किसी भी वित्तीय एवं अन्य अनियमितताऐं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि विहित लेखों का संधारण करने के उचिम कदम उठाये।

आंतरिक राजस्व की वृद्धि के लिए गृह कर समेत अन्य करों के करारोपण की अवश्यकता है।

कार्यबल की मॉग विधिवत रूप से राज्य सरकार को प्रेषित करने की आवश्यकता है।

अमिताभ कुमार
सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

(5

सं० स्था०ले०प/अधिभार/ 14203/78 दिनांकः– 27.05.2011

प्रतिवेदन की प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, साहेबगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वार्ड पार्षदों की विशेष बैठक में उपस्थापित करते हुए कंडिकाओं पर विचार कर अनुपालन प्रतिवेदन, इस प्रतिवेदन की प्राप्ति के तीन माह के अंदर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को भेज दी जाय।

ह०/-

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी/अधिभार
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार, पटना।

सं० स्था०ले०प/अधिभार/14203/79 दिनांकः– 27.05.2011

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार,पटना
2. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
3. स०ले०प०अधिकारी /अधिभार

27/5/11

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी/अधिभार
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार, पटना।

A.R.No - 66/2011-12 (4
Nagar Panchayat, Sahebganj (Muzaffarpur)

नगर पंचायत साहेबगंज 2007-08 से 2009-10

परिशिष्ट संख्या I

लेखा परीक्षा में उपलब्ध एवं नमूना जाँच की गयी अभिलेखों की सूचि

(प्रतिवेदन की ~~कंडिका~~ 3 ~~से~~ संदर्भित)

(1) लेखापाल रोकड़ बही
(2) कोषागार पासबुक
(3) बैंक खाता
(4) बंदोबस्ती पंजिका
(5) अभिश्रव
(6) चेक पंजी

नगर पंचायत साहिबगंज 2007-08 से 2009-10

परिशिष्ट II

लेखापरीक्षा में अनुपलब्ध एवं असंधारित अभिलेखों की सूचि

(प्रतिवेदन की कंडिका 3 से संदर्भित)

(1) अनुदान एवं अनुदान विनियोजन पंजी
(2) अग्रिम पंजी
(3) रोकड़पाल लेखा बही
(4) वार्षिक वित्त विवरण एवं तुलन पत्र
(5) दैनिक संग्रह पंजी
(6) फार्म, रसीद आदि की भंडार पंजी
(7) मुख्य कर एवं अन्य कर की माँग एवं वसूली पंजी
(8) विविध रसीद बुक
(9) बजट
(10) डिपोजिट लेजर

(2)

नगर पंचायत साहेबगंज 2007-08 से 2009-10

परिशिष्ट संख्या III.

वर्ष 2009-10 के दौरान वाहन से प्रवेश शुल्क वसूली का विवरण

(प्रतिवेदन [illegible] कंडिका 8 से संबंधित)

क्रम संख्या	दिनांक [illegible]	राशि (रु. में)
1	2	3
1	03.08.09	12,200.00
2	08.08.09	10,560.00
3	10.08.09	3,460.00
4	18.08.09	10,240.00
5	24.08.09	9,985.00
6	29.08.09	7,280.00
7	03.09.09	7,345.00
8	12.09.09	4670.00
9	14.09.09	4,205.00
10	27.10.09	15,000.00
11	02.11.09	10,000.00
12	10.11.09	10,000.00
13	18.12.09	10,500.00
14	04.02.10	5,000.00
15	27.02.10	9,845.00
16	03.03.10	2,400.00
17	12.03.10	2,500.00
		रु. 1,14,590.00

अभिलाषा